रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2017/आषाढ़ 8, 1939
No. 558] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ASADHA 8, 1939

India Code

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. 726(अ).—भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 51 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारण रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 27 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियमन, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है भांडागारण परामर्श दात्री समिति से परामर्श करते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये विनियम इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के लिए लागू होंगे।

3. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007(2007 का 37) अभिप्रेत है;

(ख) "नियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ग) "इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद" से इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी भांडागार रसीद अभिप्रेत है;

(घ) "इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद" से इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में जारी परक्राम्य भांडागार रसीद अभिप्रेत है;

(ड.) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "रिपोजिटरी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन और प्रबंधन के लिए प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है;

(छ) "उपयोगकर्ता" से ऐसा निक्षेपकर्ता, धारक, वित्तीय संस्था, कामाडिटी एक्सचेंज, भांडागारपाल अथवा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे रिपोजिटरी सेवाएं प्रदान करती है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें अधिनियम में अथवा नियमों में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनका अर्थ अधिनियम और नियमों में है।

अध्याय-2

इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की प्रणाली

4. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का कारोबार करना – (1) प्राधिकरण एक अथवा अधिक रिपोजिटरीज के रजिस्ट्रीकरण के जरिए भांडागारों में जमा माल की जमा शेष को धारित अथवा अंतरण करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली का बढ़ावा, नियमन और विकास करेगा।

(2) प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भांडागार, प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत एक अथवा अधिक रिपोजिटरी के पास नामांकन करेगा और केवल रिपोजिटरी के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा।

(3) माल, जिसके लिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी की गई है, के प्रत्येक निक्षेपकर्ता का रिपोजिटरी प्रणाली में ग्राहक खाता होगा।

(4) रिपोजिटरी भांडागार से सूचना प्राप्त होने पर इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में परक्राम्य भांडागार रसीद सृजित और इसका प्रबंध करेगा।

(5) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्ररूप 'क' में होगी।

5. रिपोजिटरी पर इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी किया जाना- (1) भांडागारपाल जमा किए गए माल की गुणवत्ता और मात्रा का सही अवधारण करने और इनकी तथा सभी अन्य सुसंगत सूचना की रिपोजिटरी प्रणाली में प्रविष्टि करने के पश्चात एक अनन्य इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का सृजन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) रिपोजिटरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा मोबाइल एप्लीकेशन से या प्राधिकरण द्वारा अभिकथित किसी अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन के बारे में भांडागारपाल और निक्षेपकर्ता को सूचित करेगा तथा इस प्रकार सृजित इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की मुद्रित प्रति, अनुरोध करने पर, निक्षेपकर्ता को दी जाएगी।

6. इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करना अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद पर आधारित कागजात को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करना- (1) रिपोजिटरी, प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अथवा कागजी प्ररूप में जारी विद्यमान परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने की प्रणाली लागू करेगा ताकि रिपोजिटरी प्रणाली में इनका प्रबंधन किया जा सके।

(2) निक्षेपकर्ता, इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने अथवा कागजी प्ररूप में जारी विद्यमान परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने के लिए एक अनुरोध रिपोजिटरी अथवा इसके एजेंट को प्रस्तुत करे।

(3) रिपोजिटरी अथवा इसका अभिकर्ता सत्यापन करने के बाद इस अनुरोध को निक्षेपकर्ता को सम्यक् सूचना देने के बाद माल का उनकी गुणवत्ता के रूप में जांच करने के लिए भांडागारपाल को अग्रेषित करेगा:

परन्तु कागज में परक्राम्य भांडागार रसीद को इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित करने के मामले में माल की जांच करना आज्ञापक न हो।

(4) भांडागारपाल सभी सुसंगत सूचना की प्रविष्टि करने के बाद एक अनन्य इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद संख्या सृजित करेगा जिसे रिपोजिटरी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा।

(5) यदि भांडागार में ऐसा माल निक्षेप करने पर इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद जारी की जाती है, जिसकी गुणवत्ता की निर्धारण रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त न हुई हो अथवा जिसका किसी अन्य प्रकार का सत्यापन लंबित हो, इसे ऐसे निर्धारण अथवा सत्यापन के पूर्ण होने पर इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तित किया जाएगा।

(6) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन से अथवा प्राधिकरण द्वारा विहित किसी ऐसे अन्य साधन से इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तन के बारे में निक्षेपकर्ता अथवा भांडागारपाल को सूचित करेगा तथा इस प्रकार सृजित इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की मुद्रित प्रति, अनुरोध करने पर, निक्षेपकर्ता को दी जाएगी।

(7) भांडागारपाल जब तक माल पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भंडारण में रहेगा तब तक की अवधि के लिए रिकार्ड के प्रयोजनार्थ कागज के प्ररूप में विद्यमान भांडागार रसीद अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद का रखरखाव करेगा।

7. माल निकालना- (1) जब निक्षेपकर्ता अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद धारक माल का परिदान लेना चाहता है तब वह ऐसे माल पर धारणाधिकार, यदि कोई हो, से माल को मुक्त कराएगा और भांडागारपाल की सभी देयताओं का भी भुगतान करेगा।

(2) निक्षेपकर्ता अथवा परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक अपने खाते से माल निकालने के लिए रिपोजिटरी अथवा इसके अभिकर्ता के पास अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(3) रिपोजिटरी अथवा उसका अभिकर्ता सम्यक् सत्यापन करने के बाद माल निकालने के अनुरोध को उप-नियम (2) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में भांडागारपाल को अग्रेषित करेगा।

(4) भांडागारपाल सभी सूचनाओं को विधिमान्य बनाएगा और निक्षेपकर्ता अथवा धारक के माल को जारी करने के अनुरोध पर भांडागारपाल की सभी देयताओं का भुगतान करने के बाद कार्रवाई करेगा।

(5) यदि माल के किसी एक भाग के रूप में परिदान लिया जाता है तो रिपोजिटरी रिकार्ड को अद्यतन करेगा और शेष माल इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में दर्शाया जाएगा।

(6) यदि इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में कवर किए गए माल का परिदान पूर्ण रूप में लिया जाता है तो इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को समाप्त किया जाएगा और सभी इलेक्ट्रानिक प्रणालियों को अद्यतन किया जाएगा।

(7) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की निकासी के बारे में निक्षेपकर्ता अथवा धारक और भांडागारपाल को सूचित करेगा।

8. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का अंतरण – (1) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अपनी वैधता अवधि के दौरान कई धारकों द्वारा रखी जा सकती है।

(2) जब इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करना चाहता हो तो इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद का धारक अथवा अंतत्रिती ऐसे प्रयोजन के लिए रिपोजिटरी अथवा इसके प्रतिभागियों को अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(3) सत्यापन के उपरांत रिपोजिटरी अथवा इसका प्रतिभागी उप-नियमन (2) के अधीन किए गए अनुरोध के बारे में अंतरिती को सूचित करेगा, जो अंतरण की पुष्टि करेगा।

(4) पुष्टि के उपरांत रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक विधि के जरिए अंतरिती के खाते में ऐसी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद अंतरित करेगा।

(5) रिपोजिटरी प्रणालियां इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के अंतरण के संबंध में अद्यतन की जाएंगी।

(6) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के अंतरण के बारे में अंतरणकर्ता और अंतरिती तथा भांडागारपाल को सूचित करेगा।

अध्याय-3

इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखना

9. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखना और गिरवी से मुक्त करना – (1) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक और गिरवीदार, दोनों द्वारा गिरवी रखे जाने हेतु अनुदेश मिलने पर गिरवीदार के पक्ष में इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद पर गिरवी रखे जाने का चिह्न लगाएगा।

(2) गिरवीकर्ता और गिरवीदार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अथवा जैसे भी रिपोजिटरी के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सूचना प्रदान करेगा ताकि यह बताया जा सके कि इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को गिरवी रखा गया है।

(3) रिपोजिटरी गिरवीकर्ता, गिरवीदार और भांडागारपाल को इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए गिरवी के बारे में सूचित करेगा।

(4) ऐसी गिरवी की अवधि के दौरान गिरवीदार का इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में धारणाधिकार होगा।

(5) भांडागारपाल उन मामलों में भांडागार से रेखांकित माल की परिदान नहीं देगा, जिनमें इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद गिरवी रखी हो।

(6) रिपोजिटरी, गिरवीदार द्वारा अनुदेश दिए जाने पर गिरवी रखी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद से गिरवी हटाएगा।

IndiaCode

अध्याय-4

प्रकीर्ण

10. गलती अथवा लोप का परिशोधन – (1) जब इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन के समय रिपोजिटरी की प्रणाली में डाली गई सूचना में कोई गलती हो अथवा सूचना अपूर्ण हो तथा ऐसी गलती अथवा लोप का परिशोधन करने के लिए परिवर्तन आवश्यक हो तब भांडागारपाल रिपोजिटरी के माध्यम से निम्न कार्रवाई करेगा-

(क) सही और अद्यतन सूचना दर्शाने के लिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में परिवर्तन करना; अथवा

(ख) मौजूदा इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद को रद्द करना; और

(ग) जहां कहीं आवश्यक हो, सही सूचना के साथ नई इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना।

(2) रिपोजिटरी जब तक निम्न कार्य करने के लिए आवश्यक न हो तब तक इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में निहित सूचना में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा-

(क) इस प्रकार की इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रति माल गिरवी, अंतरित अथवा निकासी करने का रिकार्ड करना;

(ख) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में गलती अथवा लोप का परिशोधन करना; और

(ग) इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में ऐसे अन्य उपांतरण करना।

(3) रिपोजिटरी इलेक्ट्रानिक माध्यम, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा प्राधिकरण द्वारा यथा अभिकथित ऐसे अन्य साधन के जरिए इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद में ऐसे परिवर्तनों के बारे में इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद धारक और भांडागारपाल को अधिसूचित करेगा।

11. इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद की सूचना- प्राधिकरण, इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में सूचना और ऐसी अन्य सूचना आवधिक अंतराल पर प्राधिकरण को भेजने के लिए भांडागारपाल, रिपोजिटरी अथवा इससे संबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को निदेश दे सकता है।

प्ररूप क

इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद/इलेक्ट्रोनिक अपरक्राम्य भांडागार रसीद

[विनियम 4 देखें]

1. रसीद संख्या : तारीख :

2. भांडागार का नाम और डाक का पूरा पता:

3. भांडागार की रजिस्ट्रीकरण संख्या: तक मान्य:

4. जिससे स्टाक प्राप्त किया (निक्षेपकर्ता का नाम और पता):

5. निक्षेपकर्ता का खाता सं. :

6. प्राप्त की गई वस्तुओं का विवरण :

क्रम सं.	वस्तु	गुणवत्ता एवं ग्रेड इत्यादि सहित वस्तु का विवरण	पैकेजों/बोरों की संख्या	मी. टन/क्विंटल में कुल मात्रा	जमा के समय बाजार दर (रुपए)	गोदाम/स्टेक/लाट संख्या

7. पैकेजों पर निक्षेपकर्ता का निजी चिह्न, यदि कोई हो:

8. हैंडलिंग प्रभार की दर :

9. भंडारण प्रभार की दर :

10. संदत्त अग्रिम राशि, यदि कोई हो :

11. आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दुर्विनियोग, बलवा, हड़ताल अथवा आतंकवाद के लिए बीमा:

क्रम सं.	बीमा पॉलिसी का नाम	पालिसी संख्या	बीमा धनराशि	बीमा पालिसी की विधिमान्यता अवधि से तक	बीमा कंपनी का नाम

12. यह रसीद घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख, जो कि.....है, तक विधिमान्य होगी ।

भांडागारपाल/प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

निबंधन और शर्तें

1. प्राप्त माल का परिदान निक्षेपकर्ता या उसके आदेश पर किया जाएगा।
2. निक्षेप किए गए माल के भंडारण और हैंडलिंग के लिए भांडागारपाल धारणाधिकार रखता है।
3. यह रसीद माल की घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख तक विधिमान्य है, जिसके लिए यह जारी की गई है।
4. भांडागारपाल का दायित्व भांडागार (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

IndiaCode

5. भांडागारपाल माल के भंडारण के दौरान अपेक्षित युक्तियुक्त सावधानी और सम्यक् सतर्कता बरतने का जिम्मा लेता है।

6. भांडागारपाल प्राकृतिक कारणों से भंडारण के दौरान भार में प्रायिक और सामान्य कमी तथा गुणता के प्रभाव का उत्तरदायी नहीं है।

[फा. सं. डब्ल्यूडीआरए/2017/1-1(2)/तक.]

गणेश बाकड़े, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2017

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) of sub-section (2) of section 35 read with section 51 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and sub rule (1) of rule 27 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 and in supersession of the Warehousing Development and Regulatory Authority (Negotiable Warehouse Receipts) Regulations, 2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Warehousing Development and Regulatory Authority, in consultation with the Warehousing Advisory Committee and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Electronic Negotiable Warehouse Receipts) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These regulations shall apply to negotiable warehouse receipts issued in electronic form.

3. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007);

(b) "rules" means the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017;

(c) "electronic warehouse receipt " means a warehouse receipt issued in an electronic form;

(d) "electronic negotiable warehouse receipt " means a negotiable warehouse receipt issued in an electronic form;

(e) "Form" means form annexed to these regulations;

(f) "repository" means an entity that has received a certificate of registration from the Authority for creation and management of electronic negotiable warehouse receipts;

(g) "user" means a depositor, holder, financial institution, commodity exchange, warehouseman or any other person to whom the repository provides services.

(2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act or the rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the rules.

CHAPTER II

SYSTEM OF ELECTRONIC NEGOTIABLE WAREHOUSE RECEIPTS

4. Conduct of business of electronic negotiable warehouse receipts. – (1) The Authority shall promote, regulate and develop the electronic system of holding and transfer of credit balances of the goods deposited in warehouses through registration of one or more repositories.

(2) Every warehouse registered with the Authority shall enroll with one or more repository registered with the Authority and shall issue electronic negotiable warehouse receipts only through a repository.

(3) Every depositor of goods for which electronic negotiable warehouse receipt is issued shall have a client account in the repository system.

(4) A repository shall upon receipt of intimation from a warehouse, create and manage the negotiable warehouse receipts, in electronic form.

(5) Electronic negotiable warehouse receipts shall be in the Form 'A'.

5. Issuance of electronic negotiable warehouse receipt on a repository. – (1) The warehouseman shall be responsible for creating a unique electronic negotiable warehouse receipt after correctly determining the quality and quantity of the deposited goods and entering the same and all other relevant information in the repository system.

(2) The repository shall intimate the warehouseman and the depositor about the creation of electronic negotiable warehouse receipt through electronic means or mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority and a print copy of the electronic negotiable warehouse receipt so created shall be given to the depositor, if requested.

6. Conversion of electronic warehouse receipt to electronic negotiable warehouse receipt or conversion of paper based Negotiable Warehouse Receipt to electronic Negotiable Warehouse Receipt. – (1) The repository, with the prior approval of the Authority, shall put in place a system for conversion of electronic warehouse receipt to electronic negotiable warehouse receipt or existing negotiable warehouse receipt issued in paper form to electronic negotiable warehouse receipt so as to facilitate its management in the repository system.

(2) A depositor may submit a request for conversion of electronic warehouse receipt to electronic negotiable warehouse receipt or conversion of existing negotiable warehouse receipts issued in paper form to electronic negotiable warehouse receipt, to the repository or to its agent.

(3) The repository or its agent after verification shall forward the request to the warehouseman for getting the goods assayed, in terms of their quality, after due intimation to the depositor:

Provided that in case of conversion of paper negotiable warehouse receipt to electronic negotiable warehouse receipt, assaying of the goods may not be mandatory.

(4) The Warehouseman, after entering all relevant information, shall generate a unique electronic negotiable warehouse receipt number which shall be updated in the repository system.

(5) In case electronic warehouse receipt is issued on deposit of goods in a warehouse pending quality assessment report from laboratory or any other kind of verification, it shall be converted to electronic negotiable warehouse receipt upon completion of such assessment or verification.

(6) The repository shall intimate the depositor and warehouseman about the conversion to electronic negotiable warehouse receipt, through electronic means, mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority and a print copy of the electronic negotiable warehouse receipt so created shall be given to the depositor, if requested.

(7) The Warehouseman shall maintain the existing warehouse receipts and negotiable warehouse receipts issued in paper form for record purposes, for the period of time the underlying goods remain in the storage in part or full.

7. Withdrawal of goods. - (1) Where the depositor or holder of negotiable warehouse receipt intends to take delivery of the goods, he shall clear the lien, if any, on the goods and also clear all dues of the warehouseman.

(2) The depositor or holder of negotiable warehouse receipt shall submit a request to the repository or its agent, for withdrawal of the goods from his account.

(3) The repository or its agent, after due verification, shall forward withdrawal of goods request made under sub-regulation (2) electronically to the warehouseman.

(4) The warehouseman shall validate all information and process the request for release of goods to the depositor or holder after all dues of the warehouseman are cleared.

(5) In case of part delivery of goods, the repository records shall be updated and balance goods shall be reflected in the electronic negotiable warehouse receipt.

(6) In case delivery of goods covered in an electronic negotiable warehouse receipt is taken in full, the electronic negotiable warehouse receipt shall be extinguished and all the electronic systems shall be updated.

(7) The repository shall intimate the depositor or holder and warehouseman about the withdrawal of electronic negotiable warehouse receipt through electronic means, mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority.

8. Transfer of electronic negotiable warehouse receipt - (1) An electronic negotiable warehouse receipt may have several holders during its lifetime.

(2) Where the electronic negotiable warehouse receipt holder intends to transfer the ownership of electronic negotiable warehouse receipt to some other person, the holder of electronic negotiable warehouse receipt or transferor shall submit the request for such purpose to the repository or its participant.

(3) After due verification, the repository or its participant shall intimate the transferee in regard to the request made under sub-regulation (2), who shall confirm the transfer.

(4) After confirmation, the repository shall transfer such electronic negotiable warehouse receipt to the account of the transferee through electronic mode.

(5) The repository systems shall be updated in regard to the transfer of the electronic negotiable warehouse receipt.

(6) The repository shall intimate the transferor and transferee and warehouseman about the transfer of electronic negotiable warehouse receipt through electronic means, mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority.

CHAPTER III

PLEDGE OF ELECTRONIC NEGOTIABLE WAREHOUSE RECEIPTS

9. Pledge of electronic negotiable warehouse receipts and removal of pledge.–(1) The repository shall mark a pledge on the electronic negotiable warehouse receipt in favour of the pledgee upon being instructed to do so by both the holder of the electronic negotiable warehouse receipt and the pledgee.

(2) The pledgor and the pledgee shall provide such information through electronic means as the repository may require to indicate that an electronic negotiable warehouse receipt has been pledged.

(3) The repository shall intimate the pledgor, the pledgee and the warehouseman about the pledge, through electronic means, mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority.

(4) The pledgee shall have a lien on the electronic negotiable warehouse receipt for the duration of such pledge.

(5) The warehouseman shall not deliver the underlying goods from the warehouse where a pledge exists on the electronic negotiable warehouse receipt.

(6) The repository shall remove the pledge from a pledged electronic negotiable warehouse receipt upon instruction by the pledgee.

CHAPTER – IV

MISCELLANEOUS

10. Rectification of errors or omissions.- (1) Where the information entered in to the system of a repository at the time of creating electronic negotiable warehouse receipt has some errors or the information is incomplete and any change is necessary to rectify such errors or omissions, the warehouseman shall, through the repository, –

(a) make modifications in the electronic negotiable warehouse receipt to reflect correct and latest information; or

(b) cancel the existing electronic negotiable warehouse receipt; and

(c) wherever necessary, issue a new electronic negotiable warehouse receipt with the correct information.

(2) The repository shall not allow any change in the information contained in an electronic negotiable warehouse receipt unless such change is necessary to, —

(a) record the pledge, transfer or withdrawal of goods against such electronic negotiable warehouse receipts;

(b) rectify errors or omissions in the electronic negotiable warehouse receipt; and

(c) make such other modifications in the electronic negotiable warehouse receipt.

(3) The repository shall notify to the holder of electronic negotiable warehouse receipt and the warehouseman in regard to such changes in electronic negotiable warehouse receipt, through electronic means, mobile applications or such other means as may be laid down by the Authority.

11. Information of electronic Negotiable Warehouse Receipts.- The Authority may direct warehouseman, repository or any other related entity to furnish information relating to electronic Negotiable Warehouse Receipts and such other information to the Authority at periodic intervals.

FORM A

electronic Negotiable Warehouse Receipt / electronic Non- Negotiable Warehouse Receipt

[See Regulation 4]

1.Receipt Number: Dated:

2. Name and complete postal address of Warehouse:

3. Warehouse Registration No: Valid up to:

4. Received from (Name and address of the depositor):

5. Depositor Account No:

6. Goods of following descriptions:

Sr. No.	Commodity	Description of Commodity with quality/grade etc.	Number of Packages/bags	Net Quantity in MTs/Qtls	Market value at the time of deposit (Rs)	Godown/ Stack/ Lot Number

7. Private marks of the depositor on the packages, if any:

8. Rate of handling charges:

9. Rate of storage charges:

10. Amount of Advance paid, if any :

11. Insured for fire, floods, theft, burglary, misappropriation, riots, strikes or terrorism:

Sr. No.	Name of the Insurance policy	Policy No.	Insured for the amount of Rs	Period of validity of insurance policy From To	Name of the Insurance company

12. This receipt shall be valid up to ……. being the date of expiry of the declared shelf-life.

Name and Signature of

Warehouseman/ authorised official

TERMS AND CONDITIONS

1. The goods received shall be delivered to the holder or to his order.

2. The warehouseman holds the lien on the goods deposited for his storage and handling charges.

3. The receipt shall be valid only till the date of expiry of declared shelf-life of the goods for which it is issued.

4. The warehouseman's liability shall be as per the provisions contained in the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

5. The warehouseman undertakes to exercise reasonable care and due diligence required during storage of goods.

IndiaCode

6. The warehouseman shall not be responsible for the usual and normal shrinkage in weight and effect on quality during storage due to natural causes.

[F. No. WDRA/2017/1-1(2)/Tech.]

GANESH BAKADE, Director (Admn. and Finance).

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.03 09:29:49 +05'30'